are regularly supplied to the Parliament Library.

After getting Govt's approved for foreign investment an entrepreneur has to take several effective steps for implementation of the project depending upon their gestation period which vary from industry to industry and project to project. Therefore, it is premature to make any assessment of the profits likely to be repatriated on the foreign investment involved in these proposals.

Foreign technology requirement for Indian Projects

1998. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the details of the projects set up in the country with the foreign technology during the last three years alongwith their break-up as for non-essential consumer items and others ;

(b) whether Government have issued any guidelines to determine the need for foreign technology and if so, the details thereof ;

(c) whether there has been deviation from these guidelines and if so, when and the reasons therefor ; and guidelines.

(d) whether Government have examined the effects of these projects on the country's environmental ecology and resources and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) Since the announcement of the New Industrial Policy 3467 proposals for foreign collaboration have been approved till 30th November, 1993. Of these 1902 approvals are only for technology transfer arrangements. Sector-wise details of such technical collaboration approvals are given in the attached annexure. [*See* Appendix CLXIX, Annexure No. 47].

(b) and (c) Various policy initiatives adopted by the Government to attract foreign technology transfer have already been spelt out in the Statement on Industrial Policy tabled in both Houses of Parliament on 24th July, 1991. The new Industrial Policy seeks to promote an industrial environment where the acquisition of technological capabilities receives priority and wherein the desired level of technological dynaminm is injected in Indian Industry. As per this, Indian companies are free to negotiate the terms of technology transfer with their foreign counterparts according to their commercial judgement. The predictability and independence of this action would certainly enable the companies to make their own assessment of the requirement for technology transfer arrangements. Simplified approval mechanism are available for foreign technology agreements. Approvals are issued as per these guidelines.

(d) Relevant environmental regulations govern industries set up with or without foreign technology.

लघु उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएं

1999. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे उद्योगों के विस्तार हेतु 1997 तक प्रदान किये जाने के लिए प्रत्येक उद्योग हेतु कितनी-कितनी धन-राशि आवंटित की गई है,

(ग) इन उद्योगों द्वारा वार्षिक कितने मूल्य का उत्पादन किया जायेगा, और

(घ) इन उद्योगों के जरिए कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) प्रोत्साहनों संवर्धन और सहायता की विभिन्न योजनाओं के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा

लघु उद्योगों को अनेक सुविधायें दी जाती हैं। लघु उद्योगों को दी गई कुछ प्रमुख सुविधायें निम्नलिखित है :–

(1) 200 लाख रुपये से अधिक के कारोबार वाले लघु उद्योगों हेतु उत्पादन शुल्क से छूट देने/राहत देने की एक योजना चल रही है।

(2) बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उधार दिया जाता है।

(3) लघु उद्योग अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पुनर्वित्त योजना के अधीन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से सावधिक ऋण ले सकते है।

(4) कार्यालय पूंजी के लिये 2 लाख रुपये तक का ऋण, ब्याज की रियायती दर पर दिया जाता है।

(5) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए 836 मदें आरक्षित हैं।

(6) सरकारी खरीद कार्यक्रमों में लघु इकाइयों से खरीद के लिए कीमत और खरीद में वरीयता अधिमान दिया जाता है।

(7) तकनीकी और सूचना सहायता सेवाएं लघु उद्योग विकास संगठन के विभिन्न सहायक कार्यालयों जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र तथा स्वायत्तशासी निकायों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

(8) तकनीकी सुधार संबंधी सहायता विनिर्दिष्ट स्वायत्तशासी जैसे कि औजार कक्ष, प्रक्रिया तथा उत्पादन विकास केन्द्रों इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

(9) परियोजन प्रोफाइलें तैयार करके और उनका प्रचार करके, तकनीकी जानकारी बाजार संवर्धन इत्यादि द्वारा लघु उद्योगों को परामर्श और मार्ग दर्शन सेवाएं दी जाती हैं।

(10) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विपणन और किराया खरीद की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक एकल बिन्दु पंजीकरण योजना भी चलाता है।

(11) लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने की अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं और उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चलाये जाते है।

(ख) सरकार किसी लघु उद्योग विशेष को धन प्रत्यक्ष आवंटन नहीं करती है। स्थायी रूप से उद्योगों हेतु अनुमोदित परिव्यय के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन 967.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(ग) तथा (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (1996-97) तक लघु उद्योगों द्वारा 233436 करोड़ रुपये की मदों का उत्पादन किये जाने तथा सेवाएं उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है (1990-91 की कीमतों पर और इसमें 150.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

Analysis of investment promotion zones undertaken by Price Water House

2000. **DR. SANJAYA SINH** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have commissioned Price Water house an international management Consultancy firm, to undertake analysis of the investment promotion zones in Indonesia, Malaysia, Thailand and China ;

(b) if so, what are the details thereof ; and

(c) whether the firm has submitted any report and if so, the details thereof and the decision taken thereon ?